न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 139 / 2018 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. मदनगोपाल पिता रामस्वरूप बहेड़िया निवासी लाखोला तह. सहाड़ा जिला भीलवाडा।

——प्रार्थी

बनाम

1. रामसहाय पिता मोहनलाल बहेड़िया निवासी लाखोला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्यामलाल पिता मोहनलाल बहेड़िया निवासी लाखोला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. भैरूलाल पिता बंशीलाल ढोली निवासी लाखोला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. राजूलाल पिता बंशीलाल निवासी लाखोला तह. सहाडा जिला भीलवाड़ा।
5. प्रभा पुत्री रामस्वरूप बहेड़िया निवासी लाखोला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. प्रेम पुत्री रामस्वरूप बहेड़िया निवासी लाखोला तह. सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः—21.01.2019

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम लाखोला, पटवार क्षेत्र लाखोला, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 1273 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 रकबा 0.32 है0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 531 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थनापत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम लाखोला, पटवार क्षेत्र लाखोला, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 1273 रकबा 0.32 है0 कुल किता 1 रकबा 0.32 है0 भूमि स्थित है। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्ष की उपस्थिति में बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी किये पत्थरगढी की जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450 / — (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु—अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय

ठोकरें नम्बर से कम हैं